कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,साहेबगंज
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम0जी0 नरेगा) अन्तर्गत
ग्राम रोजगार सेवक की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु

–: आवश्यक सूचना :–

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना सं0–4729 दिनांक–04.06.07 के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम0जी0 नरेगा) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रति पंचायत एक ग्राम रोजगार सेवक के पद की स्वीकृति प्राप्त है। इस पद पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। वर्त्तमान में 36 (छत्तीस) रोजगार सेवक के पद रिक्त हैं, जिसके विरूद्ध नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु शर्त्तें निम्नवत् है :–

1. **आवेदन पत्र उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज के पदनाम् से देय होगा।**
2. **रिक्त पदों की संख्या– 36 (छत्तीस)**
   (अना0–18, अनु0ज0जा0–14, अनु0जा0–02, पि0व0–01, अत्य0पि0व0–01)
   नोट :– कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
3. **परिलब्धि 5200/– रू0 (पाँच हजार दो सौ) प्रति माह.**
4. **शैक्षणिक योग्यता :**

I. **अनिवार्य योग्यता** – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमिडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में I.T.I., मैट्रिक के पश्चात I.T.I. की स्थिति में I.T.I. के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमिडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।

II. अतिरिक्त योग्यता :

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नाकोत्तर/ पी0जी0डी0एस0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

III. अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमिडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा। सभी शैक्षणिक योग्यताएं जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो को ही मान्य होगी।

5. आयु सीमा (01.03.2016) : न्यूनतम 18 वर्ष

6. अधिकतम : आयु सीमा

(क) अनारक्षित – 35 वर्ष

(ख) पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 37 वर्ष

(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) – 38 वर्ष

(घ) अनुसूचित जाति/अनु0 जन जाति (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष

7. **आरक्षण** – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर साहेबगंज जिला के तत्समय निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

8. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन साहेबगंज जिला के किसी प्रखंड एवं किसी ग्राम पंचायत में उपायुक्त –सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी होगी।

9. किसी कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी तथा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।

10. अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा। उसे आवेदन के साथ यह शपथपत्र देना होगा कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका यह शपथपत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

11. **साक्षात्कार** – साक्षात्कार अवधि एवं स्थल का निर्धारण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है, आवेदन पत्र दिनांक–21.03.2016 के अपराह्न 5:00बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय साहेबगंज में निबंधित डाक द्वारा जमा लिया जायेगा।

ह0/–

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
साहेबगंज ।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

विगत छः माह का पासपोर्ट साईज फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम
2. पिता / पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्त्तमान पता
5. जन्म तिथि
6. आयु 01–03–2016 को ....वर्ष.............माह............दिन
7. लिंग : पुरूष / महिला
8. कोटि :अ0जा0 / अ0ज0जा0 / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ी जाति / सामान्य (जो लागू नहीं हो काट दें)
9. मोबाईल नं0 / ई–मेल आई0डी0
10. शपथ पत्र
11. शैक्षणिक योग्यता :

क्र0	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय / संस्थान	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

2. अनुभव का विवरणी एवं प्रमाण पत्र
3. अनुलग्न

....आवेदक का हस्ताक्षर